संख्या:06/2017/2325/33-1-2017-1988/17

प्रेषक,

राजीव कुमार,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-1 **लखनऊ दिनाँक 01 दिसम्बर, 2017**

विषय: प्रदेश के ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के उपरान्त प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि प्रदेश के विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा स्थानांतरण के पश्चात् अपने दायित्व/पद से सम्बन्धित अभिलेख/चार्ज, आदि अपने प्रतिस्थानी को उपलब्ध नहीं कराते हैं, जिससे प्रतिस्थानी को पद का चार्ज/अभिलेख आदि प्राप्त न होने के कारण सम्बन्धित ग्राम पंचायत के विकास सम्बन्धी/शासकीय कार्यों को सम्पादित करने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

2- उल्लेखनीय है कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III, दिनांक 30 जुलाई, 1999 के प्रस्तर-1 में निम्नवत् प्राविधान है :-

"विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखें जायेंगे।"

http://shasnadesh.up.nic.in

3- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायतों के सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानांतरण के उपरांत प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण न करने वाले ग्राम पंचायत के सचिव के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कराते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के उपरान्त भी यदि 10 दिन के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार विधिक कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या:-06**/2017/2325(1)/33-1-17-तद्दिनाँक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. निदेशक पंचायती राज, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in